

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ०प्र० सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या-1929-औस/2015-11(28)ए०एस०/०४

दिनांक 30 मई, 2015

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों व उनके आश्रित परिजनों एवं पारिवारिक पेंशनरों को अधोलिखित बीमारियों की कैशलेस व्यवस्था के अन्तर्गत चिकित्सा/उपचार कराने हेतु कारपोरेशन द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त जसवन्तराय स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने, मवाना रोड, मेरठ फोन नं०-0121-2663887, 2663888 को कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-5830 दिनांक 31.12.08 में निहित शर्तों/प्रतिबन्धों एवं स्वीकृति सी०जी०एच०एस० दरों में अस्पताल द्वारा 4 प्रतिशत की छूट देने की सहमति सहित मान्यता प्रदान की जाती है:-

1-BRAIN

TRAUMA(Head Injury)
TUMOUR
BRAIN HEMORRHAGE
SURGERY ON SPINAL CORD

2-KIDNEY

CHRONIC RENAL FAILURE (CRF)
ESRD
TRANSPLANT

3-CANCER

SURGERY, CHEMOTHERAPY, RADIOTHERAPY

4-GASTRO

ACUTE PANCREATITIS
GI BLEED
RUPTURE

5-MISCELLANEOUS

ACUTE RESPIRATORY DISTRESS SYNDROME (ARDS)/COPD
GB SYNDROME
ENCEPHALITIS, DENGUE
VIRAL HEMORRHAGIC FEVER
MULTI ORGAN FAILURE
SERIOUS CONDITION REQUIRING
VENTILATOR

6-LAPAROSCOPIC SURGERY

7-JOINT REPLACEMENT SURGERY

8-ACCIDENTAL INJURY

उक्त कैशलेस उपचार हेतु कारपोरेशन के आदेश सं०-2800-औस/2012-11 (30)ए०एस०/2004 दिनांक 21.09.2012 में उल्लिखित निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी:-

- 1- क्रेडिट सुविधा के अन्तर्गत रोग से सम्बन्धित उपचार हेतु कार्मिक/ उस पर आश्रित रोगी कारपोरेशन द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त चिकित्सालय में उपचार हेतु निर्धारित प्रारूप में संलग्न प्राधिकार पत्र (AUTHORISATION SLIP) नियन्त्रक/सक्षम अधिकारी से प्रमाणित कराकर चिकित्सालय में प्रस्तुत करेंगे।

Neft Mathi
30.5.15.....2.....

- 2- प्राधिकार पत्र (AUTHORISATION SLIP) के साथ आवश्यक सत्यापित प्रमाण पत्र जैसे सेवा पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ की छायाप्रति अथवा पेंशन भुगतान आदेश (PPO) की छायाप्रति आदि एवं पहचान पत्र तथा आश्रित के सम्बन्ध में आश्रित प्रमाण पत्र एवं पुत्र/पुत्री का आयु का प्रमाण पत्र भी संलग्न कर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 3- कार्मिक के आश्रित माता पिता का उपचार व चिकित्सा कराने के मामलों में पहचान पत्र तथा कारपोरेशन के आदेश संख्या-6163-औस-17/पाकालि/03, दिनांक 05.01.2004 में प्राविधानित व्यवस्था के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर कारपोरेशन के कार्मिक द्वारा आश्रित के सम्बन्ध में पूर्ण सूचनाओं सहित घोषणा पत्र शपथ पत्र पर देना अनिवार्य होगा।
- 4- प्राधिकार पत्र (AUTHORISATION SLIP) निर्गत करने वाले नियन्त्रक/सक्षम अधिकारी द्वारा कार्मिक/पेंशनर के पूर्णतः आश्रित परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण प्राधिकार पत्र के साथ प्रमाणित कर प्रेषित करना होगा।
- 5- इलाज पूर्ण हो जाने पर चिकित्सालय प्रबन्धक द्वारा अनिवार्यता प्रमाण पत्र पर कार्मिक/रोगी के फोटो हस्ताक्षरों सहित अधिकृत चिकित्सक से सत्यापन उपरान्त बीजक के साथ कारपोरेशन (मु0) को उपलब्ध कराया जायेगा।
- 6- अस्पताल प्रबन्धक यह भी सुनिश्चित करेगा कि इलाज के बीजक में अदेय सामग्री जैसे विटामिन, टानिक आदि बीजक में सम्मिलित नहीं किये जायेंगे, आवश्यकता पड़ने पर ऐसी सामग्री मरीज से स्वयं के व्यय पर खरीदकर मंगाई जा सकती है।
- 7- उपचार के उपरान्त अस्पताल से अवमुक्त होने पर रोगी को आवश्यक होने पर अधिकतम 15 दिन की दवायें चिकित्सालय द्वारा अनुमन्य करायी जायेगी, जिनके मूल्य का समावेश अन्तिम बीजक में पृथक रूप से दर्शाना अनिवार्य होगा।
- 8- चिकित्सा व्यय क्रेडिट भुगतान एवं प्रतिपूर्ति के दावे मात्र उन्ही कार्मिकों व पेंशनर्स के सम्बन्ध में पावर कारपोरेशन में भुगतान हेतु स्वीकार किये जायेंगे, जो उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड एवं इसकी सहयोगी कम्पनियों यथा पूर्वान्चल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, वाराणसी/मेरठ/आगरा/लखनऊ एवं केस्को, कानपुर के अन्तर्गत वेतन अथवा पेंशन प्राप्त कर रहे हैं।
- 9- उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अथवा अन्य निगम की सेवा से सेवानिवृत्त ऐसे कार्मिक जिनके द्वारा वर्तमान में उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड अथवा इसकी सहयोगी वितरण कम्पनियों से पेंशन भुगतान प्राप्त किया जा रहा है उनके मामलों में चिकित्सा प्रतिपूर्ति/क्रेडिट बीजक का दावा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा भुगतान हेतु स्वीकार/अनुमन्य कराया जायेगा।
- 10- ऐसे कार्मिक जो वर्तमान में उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड अथवा उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड के स्तर से वेतन अथवा पेंशन का आहरण कर रहे हैं, उनके क्रेडिट चिकित्सा व्यय/प्रतिपूर्ति के दावों का भुगतान उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा।

अध्यक्ष

संख्या:-1929- औस/2015 तददिनांक:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

NCA Mattu
30.3.15

- 3- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 4- निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0)/(ऑपरेशन), ट्रांसको, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवम् केस्को, कानपुर।
- 6- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति-प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 8- समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
- 9- महाप्रबन्धक (औसं)/उप महाप्रबन्धक (औसं0)/वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी/कार्मिक अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 10- समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त), उप मुख्य एवम् वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवम् लेखा), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 11- समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवम् लेखा स्कन्ध, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
- 12- अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0-407, शक्ति भवन को उपरांकित आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org पर लोड करने हेतु
- 13- मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मेरठ।
- 14- निदेशक, जसवन्तराय स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, स्पोर्ट्स स्टेडियम के सामने, मवाना रोड, मेरठ।
- 15- सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ0प्र0), 103 कीर्ति अपार्टमेण्ट स्टेशन रोड, लखनऊ।
- 16- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 17- कट फाइल।

Naf Mathur
30.5.15
(नवनीत माथुर)
वरिष्ठ कार्मिक अधिकारी